

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 368 / 2019

महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम पुत्र रणजीत जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला तहसील  
गौरीवाला जिला सिरसा। वादी


बनाम

1. सावित्री देवी } पुत्रियों रणजीत } जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला तहसील गौरीवाला  
2. मनोहरी देवी } जिला सिरसा }  
3. बाधो देवी पत्नी मनीराम }  
4. रिछपाल }  
5. शकुन्तला } पि० मनीराम जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला तहसील गौरीवाला  
6. जयपाल } जिला सिरसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि रणजीत के नाम से चकनं० 1 केएचआर के खाता सं० 86/83 में कुल .253 है० आराजी का वादी महेन्द्रपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने व चकनं० 1 केएचआर के खाता सं० 86/83 में से रणजीत का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....27/11/19.....को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी